संख्या– 732/62–1–2012–830/98

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 05 जून, 2012

विषयः **प्रदेश में भूजल जागरूकता को एक अभियान का रूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य "भूजल सप्ताह" का आयोजन किया जाना।**

महोदय,

विगत दो–तीन दशकों में प्रदेश में सिंचाई, पेयजल एवं औद्योगिक सेक्टर में जल संसाधनों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप भूगर्भ जल स्रोत्रों का अत्यधिक दोहन किये जाने से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर भूजल स्तर में चिन्ताजनक गिरावट एवं अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, वहीं दूसरी ओर, नहर समादेश क्षेत्रों में भूजल स्तर ऊपर आने से जल प्लावन की समस्या से कृषि उत्पादकता प्रभावित हुई है, जबकि अनेक जनपदों के भूगर्भ जल स्रोत्रों में फ्लोराइड, आर्सेनिक, खारा पानी, भारी धातुओं आदि की विषाक्तता ने सुरक्षित जलापूर्ति तथा भूगर्भ जल संसाधनों की सुरक्षा के समक्ष चुनौतियॉ खड़ी कर दी हैं। किन्तु जन सामान्य को सीधे प्रभावित करने वाले भूगर्भ जल से जुडे इन खतरों के प्रति प्रदेश में जनचेतना अभी प्रभावी ढंग से जागृत नहीं हो सकी है।

2– उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2005 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शासनादेश संख्या–110/62–1–2004–830/98, दिनांक 18–01–2005 के माध्यम से भूगर्भ जल के महत्व और उस पर आसन्न संकट को देखते हुए इसके संरक्षण, प्रबन्धन, विवेक युक्त उपभोग एवं विकास तथा विनियमित दोहन के प्रति जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण प्रदेश में प्रत्येक वर्ष दिनांक 10 जून को "भूजल दिवस" के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(कु० रेखा गुप्ता)
निदेशक
स्थानीय निकाय, के०पु०

2.1– उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2005 से निरन्तर 10 जून की तिथि पर पूरे प्रदेश में "भूजल दिवस" का आयोजन राज्य स्तर से लेकर मण्डल, जनपद एवं विकासखण्ड स्तर तक किया जाता रहा है। आम जन में जागरूकता का संदेश प्रसारित करने के उद्देश्य से यह आयोजन एक प्रथम

प्रयास के रूप में सफल भी रहा है, परन्तु यह सुझाव भी सामने आते रहें हैं कि भूगर्भ जल संसाधनों के प्रति जनमानस को वृहद् स्तर पर जागरूक करने एवं इस कार्य को एक सतत् अभियान का रूप देने में शिक्षक, विद्यार्थी, युवा सक्रिय भागीदारी देकर उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते हैं।

2.2– भूजल जन जागरूकता की दृष्टि से '10 जून' की तिथि को "भूजल दिवस" मनाने के पीछे उद्देश्य यह रहा है कि इस तिथि पर ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता अपने अधिकतम पर रहती है और इसी समयावधि में वर्षा ऋतु का आगमन भी होता है। साथ ही भूजल संकट भी इस समय सर्वाधिक रहता है। इस परिदृश्य में "भूजल दिवस" के आयोजन से यद्यपि भूगर्भ जल के महत्व के प्रति आम जन का ध्यान आकृष्ट करना आसान रहता है, किन्तु महत्वपूर्ण यह भी है कि इस अवधि में प्रदेश में स्कूल, कालेज एवं अन्य शिक्षण संस्थाएं बन्द रहने से भूजल दिवस के आयोजन में छात्र–छात्राओं व शिक्षकों की समुचित भागीदारी नहीं हो पाती है, जिससे इस आयोजन के उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है।

3– अतः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश स्तर पर भूगर्भ जल की सुरक्षा, नियोजित विकास, संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति जन जागरूकता प्रभावी ढंग से सृजित करने में स्कूल, कालेजों, शैक्षिक सस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक सस्थाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने के लिए अब 10 जून को भूजल दिवस के आयोजन के स्थान पर प्रत्येक वर्ष 16 से 22 जुलाई के मध्य सम्पूर्ण प्रदेश में "भूजल सप्ताह" मनाया जायेगा।

4– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्पूर्ण प्रदेश में उक्तानुसार "भूजल सप्ताह" का आयोजन राज्य, मण्डल, जनपद, तहसील एवं विकासखण्डों में विशेष रूप से स्थानीय स्कूल–कालेजों/शैक्षिक संस्थानों की व्यापक सहभागिता के साथ किये जाने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :–

(1) परिचर्चा और संवाद, निबन्ध प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना।

(2) कठपुतली का प्रदर्शन, लोक नृत्य/गीत और नुक्कड़ नाटक इत्यादि का आयोजन करना।

(3) पोस्टर्स, होर्डिंग, बैनर्स इत्यादि का प्रदर्शन कराया जाना।

(4) प्रदर्शनी, मेलों, उत्सव आदि का आयोजन करना।

(5) पद यात्राओं, रैलियों, संगोष्ठियों, साइकिल परेड आदि का आयोजन किया जाना।

(6) फिल्म/वृत्तचित्र, स्लाइड्–शो, आकाशवाणी, रेडियो कार्यक्रम, दूरदर्शन आदि के माध्यम से भूजल संरक्षण के संदेश प्रसारित किया जाना।

(7) वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण यथासंभव क्षेत्र के माननीय जन प्रतिनिधियों द्वारा "भूजल सप्ताह" की अवधि में कराया जाना।

5– यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्यकमों के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु निम्न व्यवस्थाएं प्रभावी ढंग से कियान्वित करायी जाये :–

(1) प्रत्येक वर्ष इस आयोजन हेतु एक 'मुख्य विचार–बिन्दु' राज्य स्तर पर निर्धारित किया जायेगा, जिस पर उक्त कार्यकम केन्द्रित रहेंगे।

(2) भूगर्भ जल विभाग इस आयोजन हेतु 'नोडल विभाग' के रूप में समन्वय एवं अनुश्रवण का दायित्व निभायेगा तथा क्षेत्रीय/स्थानीय समस्याओं, भूजल संरक्षण एवं प्रबन्धन की सरल व उपयोगी विधाओं, भूजल सुरक्षा से जुड़े सुझावों आदि पर आधारित प्रचार–प्रसार सामग्री की रूपरेखा तैयार कर आवश्यकतानुसार सामग्री का प्रकाशन करायेगा।

(3) वर्तमान में भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 के क्षेत्रीय कार्यालय मण्डल स्तर पर ही स्थापित है, जबकि "भूजल सप्ताह" का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जाना है। इसके दृष्टिगत जनपद स्तर पर अवस्थित लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता इस आयोजन के जनपदीय नोडल अधिकारी एवं मण्डल स्तर पर भूगर्भ जल विभाग के संबंधित अधिकारी, मण्डलीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(4) बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं अन्य राजकीय शिक्षण संस्थाएं इस आयोजन हेतु अपने नियंत्रणाधीन स्कूल–कालेजों, विश्वविद्यालयों व शैक्षिक संस्थानों को आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करेंगे और उक्त आयोजन का अनुश्रवण करेंगे।

(5) जल संसाधनों से संबंधित समस्त विभाग यथा– सिंचाई, कृषि, लघु सिंचाई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा उ0प्र0 जल निगम, समस्त शहरी निकाय, रिमोट सेंसिंग अप्लीकेशन सेन्टर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उपकार, वाल्मी आदि "भूजल सप्ताह" के आयोजन में समुचित भागीदारी के साथ आवश्यकतानुसार तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

(6) कृषि विभाग के अधीन गठित भूमि सेना इस प्रायोजन हेतु भूजल सेना के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता सृजित करने का कार्य करेगी।

(7) शहरी क्षेत्रों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अपने अधीनस्थ प्राधिकरणों, उ0प्र0 आवास विकास परिषद आदि के माध्यम से इस आयोजन की अवधि में व्यापक प्रचार–प्रसार एवं जन जागरूकता हेतु पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन करायेगा।

(8) जन सामान्य की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से केन्द्रीय संस्थानों/प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों का भी यथासंभव सकिय सहयोग प्राप्त किया जाये। विशेष रूप से कृषि विज्ञान केन्द्र, जिला विज्ञान क्लब, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, शिक्षा मित्र, आंगनबाडी केन्द्र, जल उपभोक्ता समितियॉ, रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, भारतीय उद्योग परिसंघ, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, इण्डियन आर्कीटेक्ट

एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशन, इन्सटीट्यूशन आफ इंजीनियर्स, युवा मंगल दल, नेहरू युवा केन्द्र जैसे संगठनों को भी इस आयोजन से जोड़ने का प्रयास किया जाये।

6— भूजल के संरक्षण, इसके विवेकयुक्त दोहन तथा उपभोग, सतही तथा भूजल के सहयुक्त विकास एवं उपभोग, भूजल सम्भरण पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए भूजल पुरस्कारों की व्यवस्था की जाये और प्रत्येक वर्ष "भूजल सप्ताह" की अवधि में उन्हें वितरित किया जाये।

7— "भूजल सप्ताह" के सफल आयोजन हेतु मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी नेतृत्व प्रदान करेंगे। इन कार्यक्रमों में यथासंभव जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करते हुए उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाये और उनके नेतृत्व में रैलियों, पदयात्राओं इत्यादि का आयोजन किया जाये।

8— निर्धारित कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जिला स्तर पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय एवं अन्य संसाधनों का यथासंभव उपयोग किया जाये तथा इसके लिए मात्र शासकीय बजट पर ही निर्भर न रहा जाये। उक्त हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कम्पनियों, अर्द्ध सरकारी संगठनों इत्यादि का भी यथासंभव सहयोग लिया जाये।

कृपया उपरोक्त के संबंध में अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अर्द्धसरकारी संस्थाओं/निगमों तथा अधीनस्थ अधिकारियों को भी अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें तथा उपरोक्तानुसार दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य सम्पूर्ण प्रदेश में "भूजल सप्ताह" प्रभावी ढंग से आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करायें।

भवदीय

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या— /62—1—2004—830/98/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1— निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0।
2— कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3— औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4— अध्यक्ष, उ0प्र0 जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग, लखनऊ।
5— क्षेत्रीय निदेशक (उ0क्षे0), केन्द्रीय भूजल परिषद, लखनऊ।
6— निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से

(संजीव मित्तल)
प्रमुख सचिव